

To Control Pollution

14/14/184. SH. RAKESH DAULTABAD, MLA: Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) Whether Gurugram is one of the top polluted area in Haryana; and
- b) If so, the details thereof together with the action taken by the Government to control pollution in Gurugram;
- c) The details of the funds disbursed by the Government for improving real-time air quality monitoring initiatives in State;
- d) Whether there is any proposal under consideration of the Government to establish more AQI monitoring centers in all the cities of the State; if so, the details thereof and if not, the reasons therefore; and
- e) The details of measures taken by the Government to strengthen the network of monitoring system in Gurugram?

SH. MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

Reply:

- (a) and (b). The Central Pollution Control Board (CPCB) has identified Gurugram as one of the critically polluted areas in the State of Haryana, based on the comprehensive environmental pollution index (CEPI). Steps taken to mitigate pollution are given in Annexure-1.
- (c) The Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) has incurred an expenditure of about ₹ 32.5 crore so far on installation, operation and maintenance of 29 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) in the State.
- (d) and (e) Apart from 29 CAAQMS mentioned above, HSPCB has also set up 22 manual Air Quality Monitoring Stations in State. The State Government has proposed to install additional 100 air quality monitoring stations across the State of Haryana, out of which 22 stations will be established in the first phase, including in Gurugram.

Annexure-1

The following steps have been taken up by the Government through the district administration, Municipal Corporation of Gurugram, Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) and other Agencies/Departments concerned for prevention, control and monitoring of pollution in Gurugram:-

- i) District environment action plan for abatement and control of pollution in Gurugram has been prepared and is being implemented by the District Administration and HSPCB, in consultation with all the concerned stakeholders.
- ii) Directions issued by the Commission of Air Quality Management in NCR and adjoining areas (CAQM)/CPCB, particularly under the Graded Response Action Plan (GRAP), are being sincerely implemented.
- iii) Directions have been issued to industries/ projects for installation of online monitoring devices for air emissions and effluent discharge from various highly polluting industries, common effluent treatment plants (CETPs), sewage treatment plants (STPs), common hazardous waste & bio medical waste treatment and disposal facilities and connect them to the servers of HSPCB and CPCB for displaying real-time data for self-monitoring of compliance, and 228 units have installed the same in Gurugram District.
- iv) The ambient air quality of Gurugram is being monitored on real time basis through 04 Continuous Ambient Air Quality Monitoring Stations (CAAQMS) installed in the district.
- v) HSPCB has been regularly inspecting air and water polluting industries as per frequency of inspections defined by the Hon'ble National Green Tribunal and the Central Pollution Control Board for different categories of industries to check installation and operation of pollution control devices and compliance of prescribed standards for discharge of environmental pollutants. Besides regular mandatory inspections, the HSPCB is also conducting special inspections wherever it receives complaints through appropriate specified channels against the pollution, and wherever Court/Tribunal directions are received for conduct of inspection.

- vi) In an attempt to reduce air pollution, registration of diesel vehicles which are more than 10 years old has been banned in the NCR districts of the State, including Gurugram.
- vii) Regular monitoring of water quality of rivers and drains flowing through the State, including Gurugram District, is done by HSPCB.
- viii) To control dust emissions from construction and demolition activities, HSPCB has developed a portal of self declaration of dust control audit by dust generating projects under self monitoring regime for control of air pollution in the NCR.
- ix) Various steps are being taken to check burning of agriculture crop residue and waste in open areas.
- x) GMDA has installed monitor and display screens at 07 locations in Gurugram and has planted 07 lacs shrub and tree species in the city to increase the green cover.
- xi) Awareness is being created on environmental issues through print and electronic media to sensitize and evoke people participation.
- xii) HSPCB has banned the use of furnace oil as fuel in the entire State of Haryana including Gurugram District. Similarly, use of pet coke has also been banned for all industries except lime-kilns and cement plants. Approved fuel list has been issued for industries in the NCR districts of the State.
- xiii) HSPCB has established a control room in Ballabgarh for redressal of air pollution related complaints 24 X 7 for the districts of NCR, Haryana including Gurugram.

प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए

14/14/184 श्री राकेश दौलताबाद, विधायक: क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

क) क्या गुरुग्राम हरियाणा के शीर्ष प्रदूषित क्षेत्रों में से एक है; और

ख) यदि ऐसा है तो, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके साथ गुरुग्राम में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

ग) राज्य में वास्तविक समय वायु गुणवत्ता निगरानी पहल में सुधार के लिए सरकार द्वारा वितरित धनराशि का विवरण;

घ) क्या राज्य के सभी शहरों में और अधिक एक्मूआई निगरानी केंद्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण; और

ङ) गुरुग्राम में निगरानी प्रणाली के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

श्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

जवाब:

(क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के०प्र०नि०बो०) ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर गुरुग्राम को हरियाणा राज्य में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित किया है। प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण अनुलग्नक -1 में संलग्न है।

(ग) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह०रा०प्र०नि०बो०) ने राज्य में 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सी०ए०ए०क्मू०एम०एस०) की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर अब तक लगभग 32.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में 22 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र भी स्थापित किए हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य में अतिरिक्त 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से 22 केन्द्र पहले चरण में गुरुग्राम सहित स्थापित किए जाएंगे।

गुरुग्राम में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निगरानी के लिए जिला प्रशासन, गुरुग्राम नगर निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह0रा0प्र0नि0बो0) और अन्य संबंधित एजेंसियों/विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

i) गुरुग्राम में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिला पर्यावरण कार्य योजना तैयार की गई है और इसे जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत में विशेष रूप से निष्ठा से लागू किया जा रहा है।

iii) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं, संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयंत्र (सीईटीपी), मलजल उपचार संयंत्र (एसटीपी), सामान्य खतरनाक अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं को वायु उत्सर्जन और बहिःस्राव के लिए ऑनलाइन निगरानी उपकरणों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और अनुपालन की स्व-निगरानी के लिए वास्तविक समय पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए उन्हें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, और गुरुग्राम जिले में 228 इकाइयों ने इसे लगा लिया है।

iv) जिले में स्थापित 04 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सीएक्यूएम)के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर गुरुग्राम की परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

v) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित निरीक्षणों की आवृत्ति के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन और पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए वायु और जल प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर रहा है। नियमित अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहां भी प्रदूषण के खिलाफ उचित निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है, और जहां भी निरीक्षण के संचालन के लिए न्यायालय/न्यायाधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं, विशेष निरीक्षण भी कर रहा है।

vi) वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में, गुरुग्राम सहित राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

vii) गुरुग्राम जिले सहित राज्य में बहने वाली नदियों और नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है।

viii) निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्वयं निगरानी व्यवस्था के तहत धूल पैदा करने वाली परियोजनाओं द्वारा धूल नियंत्रण ऑडिट की स्वघोषणा का एक पोर्टल विकसित किया है।

ix) खुले क्षेत्रों में कृषि फसल अवशेषों और कचरे को जलाने से रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

x) गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुग्राम में 07 स्थानों पर निगरानी और प्रदर्शन स्क्रीन स्थापित की हैं और शहर में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 07 लाख झाड़ियों और पेड़ प्रजातियों को लगाया है।

xi) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा रही है ताकि लोगों की भागीदारी को संवेदनशील बनाया जा सके।

xii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुग्राम जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह चूना-भट्टों और सीमेंट प्लांट को छोड़कर सभी उद्योगों में पेट कोक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिलों में उद्योगों के लिए स्वीकृत ईंधन सूची जारी कर दी गई है।

xiii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा के जिलों के लिए 24X7 वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए बल्लभगढ़ में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।